(वाद सं0–1372/4/26/2021)

05.07.2021

प्रसंगाधीन मामला, पटना के चर्चित रूपेश कुमार सिंह, हत्याकांड के कथाकथित अभियुक्त, ऋतुराज एवं उसकी पत्नी, श्रीमति साक्षी सहित उनके परिजन के साथ पटना पुलिस द्वारा मारपीट एवं अमानवीय व्यवहार किये जाने से संबंधित जन अधिकार पार्टी (लो0), के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव (पूर्व सांसद) के नेतृत्व में व उक्त पार्टी के पदाधिकारीयों द्वारा दाखिल परिवाद–पत्र पर विचार किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना के प्रतिवेदनानुसार चर्चित रूपेश कुमार सिंह हत्या कांड को लेकर भा0द0स0 की धारा–302/120बी0 व शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अर्न्तगत शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या–23/21, दिनांक–12.01.2021 संस्थित किया गया है। घटना की संवदेनशीलता एवं गम्भीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के द्वारा कांड के उद्भेदन एवं अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। SIT के द्वारा घटना घटित होने के 21 दिनों के बाद वैज्ञानिक एवं पारदर्शी तरीके से साक्ष्य संकलनोपरान्त अपराधकर्मी का हुलिया से उसके रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र से संबंधित होने की जानकारी मिली। तदोपरान्त दिनांक–02.02.2021 को कांड के अनुसंधानकर्त्ता एवं उनके टीम के द्वारा अभियुक्त, ऋतुराज, को उसके घर के नजदीक स्थित सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त ऋतुराज के पास अवैध आग्नेयास्त्र एवं जिंदा कारतूस भी था। पुलिस द्वारा गहन पूछ–ताछ में अभियुक्त, ऋतुराज द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया। अपराधकर्मी, ऋतुराज के स्वीकारोक्ति बयान के उपरान्त उसे दिनांक–03.02.2021 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक–12.02.2021 तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। अनुसंधान के क्रम में घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मी सौरभ कुमार उर्फ पवन उर्फ खरहा को भी गिरफ्तार किया गया। कांड के अनुसंधानोंपरान्त अभियुक्त ऋतुराज के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया है।

परिवाद–पत्र में उल्लेखित पीड़िता श्रीमति साक्षी उक्त अपराधकर्मी ऋतुराज की धर्मपत्नी है। श्रीमति साक्षी के साथ मारपीट एवं अमानवीय व्यवहार से संबंधित शिकायत के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य पटना के प्रतिवेदनानुसार उक्त शिकायत **तथ्य से परे** एवं **कांड के अनुसंधान को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है।** अभियुक्त ऋतुराज की पत्नी SIT के समक्ष कभी उपस्थित ही नहीं हुई थी। थाना दैनिकी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ऋतुराज को

दिनांक–02.02.2021 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के उपरान्त उसकी पत्नी साक्षी सिन्हा 22:25 बजे रामकृष्णानगर थाना आयी और चली गयी।

प्रतिवेदनानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रासंगिक परिवाद–पत्र में पीड़िता श्रीमति साक्षी के द्वारा स्थानीय मीडिया में पुलिस के संदर्भ में उल्लेखित तथ्य भ्रामक एवं तथ्य से परे है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने गिरफ्तार पति ऋतुराज का बचाव करने तथा रूपेश सिंह हत्याकांड के अनुसंधान को प्रभावित करना है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन कांड का अन्वेषण समाप्त हो चुका है तथा मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन कांड के आरोपपत्रित अभियुक्त, ऋतुराज, की पत्नी, श्रीमति साक्षी, सहित उनके परिजन के साथ मारपीट तथा अमानवीय व्यवहार करने के संबंध में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही साथ स्वयं पीड़िता द्वारा भी राज्य आयोग के समक्ष इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गयी है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले तथा समरूप मामले (1569/4/26/2021) को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–11–8/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक